

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० २६५] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर ३०, १९७२/अग्राहायण ९, १८९४

No. 265] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 30, 1972/AGRAHAYANA 9, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICES

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 30th November 1972

SUBJECT.—*Simplified procedure for processing of applications for licences under the Import Policy for Registered Exporters. (Amendment No. 34)*

No. 173-ITC(PN)/72.—Attention is invited to Public Notice No. 83-ITC(PN)/72, dated 14th June 1972 where under the simplified procedure for processing of applications for licences under the Import Policy for Registered Exporters was notified.

2. It has been decided that the following may be inserted as second para in the Chartered Accountant's Certificate appearing in Annexures I and II of the above referred Public Notice:

"2. Also certified that we are the statutory auditors of the applicant firm viz
M/s....."

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचनाएं

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 1972

विषय : पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अंतर्गत लाइसेंसों के लिए आवेदन-पत्रों को तैयार करने से संबंधित सरल प्रक्रिया । (संशोधन संख्या 34)

संख्या 173-आई० टी० सी० (पी०एन०)/72.—सार्वजनिक सूचना संख्या 83-आई० टी० सी० (पी०एन०)/72, दिनांक 14-6-72 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसके अंतर्गत पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अंतर्गत लाइसेंसों के लिए आवेदन-पत्रों को तैयार करने से संबंधित सरल प्रक्रिया अधिसूचित की गई थी ।

2. यह निश्चय किया गया है कि निम्नलिखित को ऊपर उल्लिखित सार्वजनिक सूचना के अनुबंध 1 तथा 2 में प्रदर्शित सप्त लेखामाल के प्रमाण-पत्रों में द्वितीय कंडिका के रूप में शामिल किया जाए :—

“2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि हम आवेदक फॉर्म के अर्थात् सर्वश्री..... के कानूनी लेखापरीक्षक हैं ।”

Subject :—Import Policy for Registered Exports for the year April 1972—March 1973 (Amendment No. 35).

No. 174. ITC(PN)/72.—Attention is invited to the Import Policy for Registered Exporters contained in the Import Trade Control Policy (Red Book) Volume II for the period April 1972—March 1973, issued under the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 47-ITC(PN)/72, dated 3-4-1972.

2. The following amendment may be made at the appropriate place as indicated below :—

Page No. of the Policy Book, Vol. II	Reference	Amendments				
167	After the existing entry V 1, (b), the following new entry may be inserted:—					
	1	2	3	4	5	
V.I.	(c) Nylon quilted fabrics and nylon quilted blankets.	See Col. 5	See Col. 5	(1) For every kg. of nylon yarn/polyester fibre yarn used in the exported product, registered exporters exporting nylon quilted fabrics and/or nylon quilted blankets through the STC will receive replenishment at the rate of 1.20 kg of concerned imported yarn/fibre from the STC. Export of dyed and printed products will also be entitled to permissible items of dyes and chemicals upto 5 per cent of the f. o. b. value.		

1	2	3	4	5
				(2) Applications for import licences/release orders should be accompanied by a pre-shipment inspection certificate issued by the Textiles Committee in addition to other prescribed documents.

NOTE :—This provision will be applicable to exports made on or after 1-11-1972.

3. Consequent to the above amendment the item "Nylon quilted fabrics and nylon quilted blankets..... V. 1 (c)" may be inserted alphabetically at the appropriate place in the index of the above Red Book under the Product Group "V. NON-CELLULOSIC PRODUCTS".

M. M. SEN,

Chief Controller of Imports & Exports.

विषय :—अप्रैल, 1972—मार्च, 1973 वर्ष के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति (संशोधन संख्या 35) ।

संख्या 174—आई० टी० सी० (पीएन)/72.—विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 47—आई टी सी (पी एन)/72, दिनांक 3-4-72 के अन्तर्गत अप्रैल, 1972—मार्च 1973 वर्ष के लिए जारी की गई आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक (वा० 2) में पंजीकृत निर्यातकों के लिए निहित आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2. निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्टानुसार उपयुक्त स्थानों पर किए जाए :—

रेड बुक
(वा० 2)
की पृष्ठ
संख्या

संदर्भ

संशोधन

167 .. वर्तमान प्रविष्टि 5.1 (बी) के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि शामिल की जाय :—

1	2	3	4	5
5.1	(सी) नाइलोन देखिए की तह जोड़े कालम-5 हुए वस्त्र तथा नाइलोन की तह जुड़े हुए कम्बल	देखिए कालम-5	(1)	निर्यात उत्पादों में उपयोग किए जाने वाले साइलोन धागे/पालिएस्टर रेशे/धागे के प्रति किलोग्राम के लिए बे पंजीकृत निर्यातक जो राज्य व्यापार नियम के माध्यम से नाइलोन की तह जोड़े हुए वस्त्र और/या नाइलोन की तह जोड़े हुए कम्बल

1

2

3

4

5

का निर्यात कर रहे हों तो वे राज्य व्यापार निगम से संबंधित आयातित धागे/रेशे का 1.20 किलो ग्राम की दर से प्रति-पूर्ति प्राप्त करेंगे। रंगे हुए और छपे हुए उत्पादों का निर्यात भी रंगों तथा रसायनों की अनुमेय मदों के लिए जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 5 प्रतिशत तक के लिए हकदार होगा।

- (2) आयात लाइसेंसों/रिहाई आदेशों के लिए आवेदन पत्रों के साथ अन्य निर्धारित प्रलेखों के अतिरिक्त वस्त्र समिति द्वारा जारी किए गए पूर्व-पोतल-दान निरीक्षण प्रमाण-पत्र होना चाहिए।

नोट.—यह व्यवस्था 1-11-72 को या इसके बाद के किए गए निर्यातों के लिए लागू होगी।

3. उपर्युक्त संशोधन के फलस्वरूप मद “नाइलोन की तह जोड़े हुए वस्त्र तथा नाइलोन की तह जोड़े हुए कम्बल.....5.1 (सी)” को उपर्युक्त रेड बुक के सूचक में उत्पाद वर्ग “5. गैर-सेलूलोज उत्पादों” के अन्तर्गत उचित स्थान में वर्णक्रमानुसार शामिल किया जाए।

एम० एम० सेन,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।